International Multidisciplinary Journal Metainnovate – IMJM is an official publication of YBN University, Rajaulatu Village, Namkum, Ranchi, Jharkhand 843010, India. It is published quarterly - March, June, September, and December.

www.metainnovateybnujournal.com

Volume 1, Issue 1, Jan -Mar 2025

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान स्थिति

(Women's Participation in Indian Politics: Historical Perspective and Present Scenario)

डॉ. ओम सिंह,
सहायक आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
अपेक्स स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स,
अपेक्स यूनिवर्सिटी।
Email- Omsinghshekhawat1988@gmail.com

सारांश (Abstract)

यह शोधपत्र भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की ऐतिहासिक यात्रा और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदलती रही है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी राजनीतिक भागीदारी सीमित रही। हालांकि, समय के साथ महिलाओं ने राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस अध्ययन में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में आई प्रगति, चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है।

Keywords: भारतीय राजनीति, महिलाओं की भागीदारी, ऐतिहासिक यात्रा और स्वतंत्रता संग्राम ।

1. परिचय (Introduction)

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है, जिसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान स्थिति दोनों का विश्लेषण करना आवश्यक है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी न केवल लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, बल्कि यह समाज में लिंग समानता और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है। भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं और उन्हें राजनीतिक भागीदारी के अवसर प्रदान किए गए हैं। भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का इतिहास काफी पुराना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई महिलाओं ने सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों में भाग लिया। इनमें से कुछ प्रमुख नामों में शामिल हैं सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, और विजयलक्ष्मी पंडित। स्वतंत्रता के बाद, महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए कई कानून और नीतियाँ बनाई गईं। भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता के अधिकार दिए गए और उन्हें राजनीतिक भागीदारी के अवसर प्रदान किए गए। वर्तमान स्थिति में, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2019 के आम चुनावों में, महिला[4] मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से थोड़ी अधिक रही, जिसमें महिलाओं की संख्या 49.5% थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में, महिलाओं का मतदान प्रतिशत (65.8%) पुरुषों (65.6%) की तुलना में थोड़ा अधिक था। महिलाएँ अब विभिन्न स्तरों पर राजनीति में भाग ले रही हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाएँ, पंचायती राज, और राजनीतिक दल।

1.1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (Historical Perspective)

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का इतिहास काफी पुराना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई महिलाओं ने सत्याग्रह[7] और अन्य आंदोलनों में भाग लिया। इनमें से कुछ प्रमुख नामों में शामिल हैं [1]:

I. सरोजिनी नायडू

II. कमला नेहरू

III. विजयलक्ष्मी पंडित

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका

महात्मा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी[8] नायडू, अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने न केवल अपने परिवारों और समुदायों में स्वतंत्रता की भावना को जगाया, बल्कि उन्होंने सक्रिय

रूप से आंदोलनों में भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। महिलाओं की भागीदारी के प्रमुख क्षेत्र महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न तरीकों से भाग लिया:

➢ सत्याग्रह और प्रदर्शन: महिलाओं ने सत्याग्रह और प्रदर्शनों में भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया।

➢ क्रांतिकारी गतिविधियाँ: कुछ महिलाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध का समर्थन किया।

➢ सामाजिक और राजनीतिक सुधार: महिलाओं ने सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए काम किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।

➢ नेतृत्व और संगठन: कुछ महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व की भूमिका निभाई और आंदोलनों का संगठन किया।

प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी कुछ प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं:

❖ सरोजिनी नायडू: एक प्रमुख कवयित्री और राजनीतिज्ञ, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

❖ कमला नेहरू: जवाहरलाल नेहरू की पत्नी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

❖ विजयलक्ष्मी पंडित: एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

कस्तूरबा गांधी: महात्मा गांधी की पत्नी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीति में महिलाओं की स्थिति (1947 के बाद भारत में):

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा दी। इसमें महिलाओं को मताधिकार, शिक्षा, कार्य और राजनीति में भागीदारी के समान अवसर प्राप्त हुए। लेकिन व्यावहारिक रूप में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी चुनौतियों से भरी रही है।

1. संविधानिक अधिकार और अवसर:

- भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16) प्राप्त हुए।
- चुनावों में खड़े होने और मतदान का अधिकार महिलाओं को शुरुआत से ही मिला।

2. राजनीति में आरंभिक भागीदारी:

- विजया लक्ष्मी पंडित – स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजनयिक; 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनीं।
- राजकुमारी अमृत कौर – स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री और संविधान सभा की सदस्य।

3. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में योगदान:

- इंदिरा गांधी – भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री (1966–1977, 1980–1984); वैश्विक स्तर पर एक शक्तिशाली नेता मानी गईं।
- कई राज्यों में महिला[3] मुख्यमंत्री बनीं जैसे:
    - जयललिता (तमिलनाडु),
    - ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल),
    - शिला दीक्षित (दिल्ली),
    - वसुंधरा राजे (राजस्थान),
    - मायावती (उत्तर प्रदेश)।

4. पंचायती राज और 73वां संविधान संशोधन (1992):

- पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण[5] सुनिश्चित किया गया।
- इससे लाखों महिलाएं ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख आदि बनीं, जिससे जमीनी स्तर पर राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ।

1.2. वर्तमान में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

वर्तमान स्थिति वर्तमान में, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2019 के आम चुनावों में, महिला[6] मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से थोड़ी अधिक रही, जिसमें महिलाओं की संख्या 49.5% थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में, महिलाओं का मतदान प्रतिशत (65.8%) पुरुषों (65.6%) की तुलना में थोड़ा अधिक था।

महिलाओं की वर्तमान भागीदारी

1. लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या:

- 2024 की लोकसभा (18वीं) में कुल 78 महिला सांसद (543 में से) चुनी गईं – यह लगभग 14% प्रतिनिधित्व है।
- यह अब तक का सर्वोच्च आँकड़ा है, लेकिन अब भी बहुत कम, जब देश की आबादी में महिलाओं का हिस्सा 49% है।

2. राज्य विधानसभाओं में भागीदारी:

- विभिन्न राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10%–15% के बीच है।

- कुछ राज्यों में यह प्रतिशत थोड़ा अधिक है जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, जहाँ महिला आरक्षण नीति को लागू किया गया है।

3. महिलाएं महत्वपूर्ण पदों पर:

नेता का नाम	पद
निर्मला सीतारमण	भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री
स्मृति ईरानी	महिला एवं बाल विकास मंत्री
द्रौपदी मुर्मू	भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति (2022 से)
ममता बनर्जी	पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख
अनामिका सिंह	बिहार में सबसे युवा मुखिया (पंचायती स्तर पर)
प्रियंका गांधी	कांग्रेस पार्टी की महासचिव; उत्तर भारत में सक्रिय नेतृत्व

4. पंचायती राज में भागीदारी:

- 33% आरक्षण (कुछ राज्यों में 50%) के कारण लाखों महिलाएं सरपंच, पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख बनी हैं।
- उदाहरण: राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश में पंचायतों की एक बड़ी संख्या में महिलाएं निर्वाचित हुई हैं।

2. साहित्य की समीक्षा

घोष, जयब्रत[1] (2021) यह शोधपत्र राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका का विश्लेषण करने का एक प्रयास है और यह भी समझने का प्रयास करता है कि भारत में महिलाओं की आवाज़ और मुद्दे जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं या नहीं। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका को दर्शाते हैं और यह भी विश्लेषण करते हैं कि भारत में महिलाओं की आवाज़ और मुद्दे जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं या नहीं। इस अध्ययन के प्रमुख परिणाम भारतीय चुनाव प्रक्रिया के मूल र्निणय र्निमाताओं के लिए सहायक हो सकते हैं, जिससे भविष्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

यादव, डॉ. मंजू[2] (2018) राजनीति में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व केवल भारत की विशेषता नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। परंपरागत रूप से, राजनीतिक वैज्ञानिकों ने शासकीय संस्थाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया है और महिलाओं

के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रश्न उठाने में विफलता आंशिक रूप से लिंग रूढ़िवादिता से उपजी है। पुरुषों द्वारा राजनीति पर प्रभुत्व को परिवार के भीतर श्रम के लैंगिक विभाजन का स्वाभाविक विस्तार माना जाता है और महिलाओं का घर और परिवार में व्यस्त रहना ही उनके राजनीतिक पद से दूर रहने का कारण माना जाता है।

वोहरा, रूपा और सेन, अरुण[14] के. (1986) ने अपनी पुस्तक 'भारतीय महिलाओं की शिक्षा और समस्याएँ' में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया है और वैदिक युग से लेकर आज़ादी के बाद तक महिलाओं की अलग-अलग भूमिकाओं को प्रस्तुत किया है। वैदिक काल से लेकर मुस्लिम शासन और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आगमन तक महिलाओं की स्थिति में हुए उतार-चढ़ाव को दिलचस्प तरीके से उजागर किया गया है।

शर्मा, स.एन., शर्मा, नीना[15] और शर्मा, कुशल (1984) ने अपने अध्ययन 'महिलाओं की भागीदारी और विकास' में भागीदारी की अवधारणा और आयामों, सहभागी विकास, स्वैच्छिक कार्रवाई के माध्यम से भागीदारी, साथ ही भागीदारी की अनिवार्यता पर ध्यान केंद्रित किया है।

डोज़, रॉबर्ट ई. और ह्यूजेस, जॉन[18] ए. (1972) ने अपनी पुस्तक 'पॉलिटिकल सोशियोलॉजी' में राजनीति के सामाजिक मनोविज्ञान के संदर्भ में राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा पर चर्चा की है। वे समाजीकरण को समाज में भूमिका प्रशिक्षण से जोड़ते हैं और मानते हैं कि समाजीकरण जल्दी शुरू होता है। हालाँकि, उनका मानना है कि राजनीतिक व्यवहार और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में अंधी धारणाओं को सावधानी से लिया जाना चाहिए।

3. परिकल्पना (Hypothesis)

- संविधान और कानूनी प्रावधानों के बावजूद, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोधों के कारण अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है।
- महिलाओं की साक्षरता दर और आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि से उनकी राजनीतिक भागीदारी में सकारात्मक परिवतन आया है।
- राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की नीतियाँ और उनके प्रभाव से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी प्रभावित होती है।
- पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के कारण उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है।
- महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कानूनी, सामाजिक और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है।

4. उद्देश्य (Objectives)

1. स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान तक भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका और योगदान का विश्लेषण करना।
2. संविधान और महिला आरक्षण विधेयक जैसे कानूनी प्रावधानों का प्रभाव और उनकी प्रभावशीलता की समीक्षा करना।
3. पितृसत्तात्मक संरचनाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करना।
4. महिलाओं की साक्षरता दर, राजनीतिक शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के बीच संबंधों का अध्ययन करना।
5. प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की नीतियों और उनके प्रभाव का विश्लेषण करना।
6. पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं की आरक्षित सीटों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
7. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों और नीतिगत सिफारिशों की प्रस्तुति।

1. शोध पत्र के उद्देश्यों का विस्तारपूर्वक निदान का वर्णन

1.1. उद्देश्य (Objectives): स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान तक भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका और योगदान का विश्लेषण करना।

समाधान : स्वतंत्रता संग्राम[9] में महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पर्रिवतन का प्रतीक भी बना। प्रमुख उदाहरणों में शामिल हैं:

❖ रानी लक्ष्मीबाई: 1857 के विद्रोह में झाँसी की रानी[17] ने वीरता और नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

- ❖ सारोजिनी नायडू: "भारत की नाइटिंगेल" के रूप में प्रसिद्ध, नायडू ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।
- ❖ सुचेता कृपलानी: वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- ❖ अंजना देवी चौधरी: राजस्थान की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें ब्रिटिश शासन के तहत गिरफ्तार किया गया।
- ❖ मिथूबेन पेटिट: महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में भाग लिया और गांधीवादी विचारों का समर्थन किया।
- ❖ अन्नपूर्णा देवी: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत।

महात्मा गांधी ने महिलाओं को सत्याग्रह और असहमतिं आदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई।

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की राजनीतिक स्थिति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई, हालांकि चुनौतियाँ बनी रहीं:

- ❖ संविधान में समानता का प्रावधान: भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर समान प्रतिनिधित्व की कमी रही।
- ❖ महिला आरक्षण विधेयक: 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गईं। हालांकि, यह आरक्षण 2029 के बाद लागू होगा।
- ❖ राजनीतिक दलों में महिला प्रतिनिधित्व: राजनीतिक दलों में महिलाओं को टिकट देने में पक्षपाती रवैया अपनाया जाता है, जिससे उनकी प्रभावी राजनीतिक भागीदारी सीमित होती है।

वर्तमान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

हाल के वर्षों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि देखी गई है:

- ❖ महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना: यह विधेयक महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि का संकेत है।

❖ महिला वोटरों की सक्रियता: 2024 के आम चुनावों में भाजपा ने महिला वोटरों को सक्रिय रूप से जोड़ा, जिससे पार्टी की सफलता में योगदान मिला।

❖ महिला नेतृत्व के उदाहरण: "ऑपरेशन सिंदूर" जैसी पहलों ने महिलाओं के नेतृत्व की क्षमता को उजागर किया है।

1.2. उद्देश्य (Objectives): संविधान और महिला आरक्षण विधेयक जैसे कानूनी प्रावधानों का प्रभाव और उनकी प्रभावशीलता की समीक्षा करना।

समाधान: महिला सशक्तिकरण और राजनीति[10] में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत में कई संविधानिक और कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को र्निणय प्रक्रिया में शामिल करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना है। इस खंड में संविधानिक और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण किया गया है, विशेष रूप से महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में।

1. संविधानिक प्रावधान:

(क) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16):

➢ अनुच्छेद 14: सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है।

➢ अनुच्छेद 15(3): राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।

➢ अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता सुनिश्चित करता है।

(ख) पंचायतों और नगरपालिकाओं में आरक्षण (73वां और 74वां संशोधन):

➢ 1992 में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गईं।

➢ इस प्रावधान ने स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को व्यापक रूप से बढ़ाया।

2. महिला आरक्षण विधेयक (128वां संविधान संशोधन विधेयक, 2023):

मुख्य विशेषताएँ:

➢ संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।

- ➢ यह आरक्षण उन सीटों में लागू होगा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
- ➢ यह प्रावधान जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा।

लक्ष्य:

- ➢ राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
- ➢ नीति निर्माण में महिलाओं की आवाज़ को सशक्त बनाना।

3. प्रभाव और प्रभावशीलता की समीक्षा:

सकारात्मक प्रभाव:

- ➢ राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि: स्थानीय निकायों में आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।
- ➢ सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव: महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति ने समाज में लिंग समानता को बढ़ावा दिया है।
- ➢ रोल मॉडल: महिला नेताओं की उपस्थिति ने अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया है।

सीमाएँ और चुनौतियाँ:

- ➢ सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण नहीं: कई बार महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं, जिसे "सरपंच पति" की समस्या कहा जाता है।
- ➢ राजनीतिक दलों की अनिच्छा: संसद और विधानसभाओं में आरक्षण लागू करने को लेकर वर्षों से राजनीतिक सहमति की कमी रही।
- ➢ आरक्षण की समय-सीमा और कार्यान्वयन: विधेयक पारित तो हुआ है, लेकिन इसे लागू करने की शर्तें (जनगणना और परिसीमन) इसकी तात्कालिकता को कम करती हैं।

1.3. उद्देश्य (Objectives): पितृसत्तात्मक संरचनाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करना।

समाधान: भारत जैसे समाज में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी[11] बढ़ाने के लिए अनेक संविधानिक और कानूनी प्रयास हुए हैं, परंतु पितृसत्तात्मक संरचनाएँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ,

और सांस्कृतिक मान्यताएँ अब भी ऐसी बाधाएँ हैं जो महिलाओं की सक्रिय और स्वतंत्र राजनीतिक भागीदारी में रुकावट बनती हैं। इन बाधाओं का विश्लेषण नीचे किया गया है:

1. पितृसत्तात्मक संरचनाएँ (Patriarchal Structures):

(क) सत्ताधारी सोच और सामाजिक व्यवस्था:

- ➢ भारतीय समाज परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान रहा है, जहाँ पुरुषों को नेतृत्व के लिए उपयुक्त समझा जाता है।
- ➢ महिलाएँ राजनीति में आने पर अक्सर संदेह और आलोचना का शिकार होती हैं – उन्हें "कमज़ोर" या "भावनात्मक" माना जाता है।

(ख) राजनीतिक दलों की मानसिकता:

- ➢ अधिंकाश दल महिलाओं को "सांकेतिक उम्मीदवार" के रूप में पेश करते हैं।
- ➢ टिकट वितरण में महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती, विशेषकर सुरक्षित या जीतने योग्य सीटों पर।

2. पारिवारिक जिम्मेदारियाँ (Family Responsibilities):

(क) दोहरे उत्तरदायित्व:

- ➢ महिलाओं को घर और परिवार की देखभाल, बच्चों की परवरिश और सामाजिक समारोहों में भागीदारी की ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है।
- ➢ राजनीति जैसे समय-ग्रहण और सार्वजनिक जीवन के लिए आवश्यक स्वतंत्रता की कमी रहती है।

(ख) परिवार का समर्थन न मिलना:

- ➢ कई परिवार राजनीति को महिलाओं के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं मानते।
- ➢ विवाह के बाद महिलाओं को पति या ससुराल पक्ष की अनुमति के बिना स्वतंत्र निर्णय लेना कठिन होता है।

3. सांस्कृतिक मान्यताएँ (Cultural Beliefs):

(क) लिंग आधारित भूमिकाओं की रूढ़ियाँ:

- ➢ “नारी का स्थान घर है” जैसी मान्यताएँ अब भी ग्रामीण और कुछ शहरी इलाकों में प्रचलित हैं।
- ➢ राजनीतिक गतिविधियों को “असभ्य” या “अशोभनीय” समझा जाता है, विशेषकर महिलाओं के लिए।

(ख) धार्मिक और परंपरागत विश्वास:

- ➢ कुछ समुदायों में धार्मिक मान्यताएँ महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं।

(ग) शिक्षा और जागरूकता की कमी:

- ➢ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों और प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती।

1.4. उद्देश्य (Objectives): महिलाओं की साक्षरता दर, राजनीतिक शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के बीच संबंधों का अध्ययन करना।

समाधान: भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं की सशक्त भूमिका के निर्माण में साक्षरता, राजनीतिक शिक्षा, और आर्थिक स्वतंत्रता तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए घटक हैं। इन तीनों तत्वों के बीच एक सह-सम्बंधात्मक (interdependent) रिश्ता है, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और समाज में प्रभावशीलता को निर्धारित करता है।

1. महिलाओं की साक्षरता दर और उसका प्रभाव

साक्षरता का अर्थ: केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता नहीं, बल्कि जानकारी ग्रहण करने, विचार व्यक्त करने और अधिकारों को समझने की क्षमता।

राजनीतिक सहभागिता में प्रभाव:

- ➢ साक्षर महिलाएँ चुनाव प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं और नागरिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होती हैं।
- ➢ वे अपने मताधिकार का प्रयोग समझदारी से करती हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकती हैं।

भारत में साक्षरता आंकड़े (2021 के अनुसार):

- ➢ पुरुष साक्षरता दर: 84.7%

- ➢ महिला साक्षरता दर: 70.3%
- ➢ यह अंतर महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता को प्रभावित करता है।

2. राजनीतिक शिक्षा का महत्व

राजनीतिक शिक्षा से आशय: महिलाओं को लोकतंत्र, संविधान, कानूनों, चुनाव प्रक्रिया और उनके अधिकारों की जानकारी देना।

संबंध और प्रभाव:

- ➢ साक्षर महिला अगर राजनीतिक रूप से शिक्षित है तो वह न केवल स्वयं जागरूक नागरिक बनती है, बल्कि समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभा सकती है।
- ➢ राजनीतिक शिक्षा, महिलाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना विकसित करती है।

व्यवहारिक उदाहरण: पंचायतों में चुनी गईं अनेक महिला प्रतिनिधियाँ जो पहले अशिक्षित थीं, प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से प्रभावशाली नेता बनीं।

3. आर्थिक स्वतंत्रता और उसका राजनीतिक सशक्तिकरण से संबंध

आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ: महिलाएँ स्वयं आय अर्जित कर सकें, वित्तीय निर्णय ले सकें और आत्मनिर्भर बनें।

राजनीतिक भागीदारी में प्रभाव:

- ➢ आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएँ:

I. सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए संसाधन जुटा सकती हैं।

II. स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकती हैं या अभियान चला सकती हैं।

III. राजनीतिक दबाव या पारिवारिक प्रतिंबधों के सामने अधिक साहसिक निर्णय ले सकती हैं।

साक्षरता और आर्थिक स्वतंत्रता का संबंध:

- ➢ शिक्षित महिलाएँ नौकरी, व्यवसाय या स्वरोज़गार की ओर प्रवृत्त होती हैं।
- ➢ आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएँ राजनीति में दखल के लिए आवश्यक खर्च और संसाधन जुटा सकती हैं।

सारांश: त्रिकोणात्मक संबंध

घटक	प्रभाव
साक्षरता → राजनीतिक शिक्षा	साक्षर महिलाएँ अधिक जल्दी राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करती हैं
राजनीतिक शिक्षा → सशक्त निर्णय	निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि
आर्थिक स्वतंत्रता → राजनीतिक सक्रियता	संसाधनों तक पहुंच और सामाजिक आत्मनिर्भरता

1.5. उद्देश्य (Objectives): प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की नीतियों और उनके प्रभाव का विश्लेषण करना।

समाधान: भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक[13] दलों की नीतियाँ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सीधे प्रभावित करती हैं। यद्यपिं सविधान और कानून महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात करते हैं, फिर भी राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने में स्पष्ट असमानता और अनिच्छा देखी जाती है। इस खंड में हम प्रमुख दलों की नीतियों, आंकड़ों, और उनके वास्तविक प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।

1. प्रमुख राजनीतिक दलों की नीतियाँ:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC):

- समय-समय पर महिलाओं को बढ़ावा देने की बात की गई है।
- 2019 लोकसभा चुनाव में महिलाओं को लगभग 12% टिकट दिए गए।

पार्टी का दावा: महिला सशक्तिकरण एक प्रमुख एजेंडा है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP):

- महिला सशक्तिकरण पर जोर (बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के माध्यम से)।
- 2019 लोकसभा चुनाव में लगभग 12% टिकट महिलाओं को दिए गए।
- कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री पद तक महिलाओं को मौका (जैसे: वसुंधरा राजे, उमा भारती)।

तृणमूल कांग्रेस (TMC):

- ➢ ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC ने महिलाओं को टिकट देने में अन्य दलों की तुलना में अग्रणी भूमिका निभाई।
- ➢ 2019 लोकसभा चुनाव में 41% टिकट महिलाओं को दिए गए।
- ➢ यह अब तक का सबसे ऊँचा प्रतिशत रहा किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी द्वारा।

बीजू जनता दल (BJD):

- ➢ ओडिशा में महिलाओं को राजनीति[16] में बढ़ावा देने की नीति।
- ➢ 2019 में लोकसभा की 33% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे।

कम्युनिस्ट पार्टियाँ (CPM, CPI):

- ➢ वैचारिक रूप से समानता की पक्षधर लेकिन व्यावहारिक रूप से महिला प्रतिनिधित्व कम।
- ➢ 2019 में औसतन 10-12% टिकट ही महिलाओं को दिए गए।

वास्तविकता और विरोधाभास:

दल का नाम	2019 में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत
TMC	41%
BJD	33%
INC	12%
BJP	12%
CPM/CPI	10-12%

- ✓ दलों के घोषणा-पत्रों और वास्तविक टिकट वितरण में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। महिला आरक्षण पर समर्थन जताने के बावजूद, जीतने योग्य सीटों पर महिलाओं को टिकट कम मिलते हैं।

इन नीतियों का प्रभाव:

सकारात्मक प्रभाव:

I. महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने से संसद और विधानसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व दर में सुधार।

II. राजनीतिक बहसों में महिलाओं के मुद्दों को जगह मिलती है।

III. महिला नेताओं का रोल मॉडल प्रभाव अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिलती है।

नकारात्मक या सीमित प्रभाव:

- ➢ टिकट मिलने के बावजूद महिलाएँ अक्सर पुरुष नेताओं के साए में रह जाती हैं।
- ➢ कई बार महिलाओं को कमज़ोर या हारने वाली सीटों पर खड़ा किया जाता है, इसे "symbolic representation" कहा जाता है।
- ➢ नेतृत्व के शीर्ष पदों तक महिलाओं की पहुँच अब भी बेहद सीमित है।

1.6. उद्देश्य (Objectives): पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं की आरक्षित सीटों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

समाधान: भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संविधान में 73वां और 74वां संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया। यह र्निणय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।

आरक्षण का कानूनी आधार:

- ➢ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम[12] (24th April, 1993): ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित।
- ➢ 74वां संविधान संशोधन अधिनियम (1st June, 1993): नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में कम से कम 33% आरक्षण।
- कई राज्य सरकारों ने इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया है (जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़)।

सकारात्मक प्रभाव (Positive Impact):

1. राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि: लाखों महिलाएँ पंचायती राज और शहरी निकायों में र्निवाचित होकर राजनीति में पहली बार शामिल हुईं। आज भारत में लगभग 14 लाख महिला प्रतिनिधि (स्थानीय निकायों में) हैं — यह दुनिया में सबसे बड़ा महिला नेतृत्व है।

2. नेतृत्व क्षमताओं का विकास: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं ने नेतृत्व, बजट प्रबंधन, योजना र्निमाण में निपुणता प्राप्त की। उदाहरण: कई महिला सरपंचों ने पेयजल, शिक्षा और स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी।

3. सामाजिक परिवर्तन: महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति से समाज में लिंग आधारित सोच में परिवर्तन आया। पारंपरिक रूप से "पुरुषों के क्षेत्र" माने जाने वाले क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी।

4. नीतियों में लैंगिक संवेदनशीलता: महिला प्रतिनिधियों ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण) को प्राथमिकता दी।

महत्वपूर्ण तथ्य और उदाहरण:

- राजस्थान और बिहार जैसी जगहों पर महिला मुखिया (सरपंच/प्रमुख) ने शिक्षा, बाल विवाह रोकथाम, और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया।
- केरल में महिलाओं की भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ।

1.7. उद्देश्य (Objectives)-7: महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों और नीतिगत सिफारिशों की प्रस्तुति।

समाधान: भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कई संविधानिक और कानूनी उपाय किए गए हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधित्व अब भी सीमित है। केवल आरक्षण ही पर्याप्त नहीं है; इसके साथ-साथ व्यापक संस्थागत, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है।

1. कानूनी और संस्थागत सुधार (Legal & Institutional Reforms):

(क) महिला आरक्षण विधेयक का शीघ्र क्रियान्वयन: संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जनगणना और परिसीमन के इंतज़ार के बिना लागू किया जाए।

(ख) राजनीतिक दलों पर महिला टिकट देने का अनिवार्य कोटा: निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के लिए यह बाध्यता कि वे कम से कम 33% टिकट महिलाओं को दें, विशेषकर जीतने योग्य सीटों पर।

(ग) चुनाव खर्च में महिला उम्मीदवारों के लिए विशेष सहायता: महिलाओं को चुनावी अनुदान, प्रचार संसाधन, और अभियान समर्थन प्रदान करना।

2. शिक्षा और जागरूकता से जुड़े सुधार (Education & Awareness Reforms):

(क) राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम: महिला उम्मीदवारों और प्रतिनिधियों के लिए लीडरशिप, बजट, नीति निर्माण और संवाद कौशल पर आधारित प्रशिक्षण।

(ख) युवतियों के लिए स्कूल-कॉलेज स्तर पर नागरिक शिक्षा: पाठ्यक्रमों में राजनीतिक भागीदारी, संवैधानिक अधिकारों और नेतृत्व विकास को शामिल किया जाए।

(ग) मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए जागरूकता अभियान: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए प्रेरित करना।

3. आर्थिक और संरचनात्मक समर्थन (Economic & Structural Support):

(क) महिला उम्मीदवारों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएँ: चुनाव लड़ने के लिए लोन, अनुदान या चुनावी बॉन्ड के जरिए सहायता।

(ख) कार्यस्थलों और राजनीतिक संस्थाओं में लिंग संवेदनशीलता: राजनीति में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगी वातावरण सुनिश्चित करना।

4. सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव (Social & Cultural Reforms):

(क) पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देना: समाज में यह संदेश फैलाना कि नेतृत्व क्षमता लिंग आधारित नहीं होती।

(ख) महिला प्रतिनिधियों को पारिवारिक समर्थन देने के अभियान: परिवारों को यह समझाना कि महिलाओं की भागीदारी समाज के हित में है।

(ग) प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व पर निगरानी और दंड: यह सुनिश्चित करना कि निर्वाचित महिलाएँ स्वयं निर्णय ले रही हैं, न कि उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य।

5. टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग का उपयोग (Use of Technology & Networking):

(क) महिला नेताओं का डिजिटल नेटवर्क निर्माण: एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ महिलाएँ अनुभव साझा कर सकें, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें और प्रशिक्षण ले सकें।

(ख) IT और सोशल मीडिया प्रशिक्षण: महिलाओं को डिजिटल अभियान, ऑनलाइन संवाद, और मीडिया प्रबंधन सिखाना।

5. शोध पद्धति

शोध कार्य के लिए किसी अनुसंधान अभिकल्प की रचना एवं विश्वसनियता, आंकड़ों के संकलन में सहायक होती है। यह शोध कार्य उस कार्य से शत प्रतिशत सही रखता है। शोध पत्र में शोधार्थी

द्वारा गुणात्मक शोध पर सोच विचार विंमश से चयन किया गया है। शोध पत्र का शीर्षक- भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान स्थिति है। शोधार्थी ने अध्ययन से संबंधित सामग्री प्राथमिक एवं दित्तीयक स्त्रोतों से प्राप्त की है जो शोध अध्ययन में सहायक है, इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं,समाचार पत्र, पुस्तकें एवं इंटरनेट आदि स्त्रोतों की सहायता ली गई है।

6. चुनौतियाँ (Challenges)

I. सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध: पारंपरिक पितृसत्तात्मक सोच और लिंग आधारित भेदभाव महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में प्रमुख बाधाएँ हैं। घर के कामकाजी दायित्वों और पारिवारिक समर्थन की कमी के कारण महिलाएँ राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पातीं।

II. आर्थिक और शैक्षिक असमानताएँ: महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है, जिससे उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया और मुद्दों को समझने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, चुनावी अभियान महंगे होते हैं, और कई महिलाएँ वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले पातीं।

III. राजनीतिक दलों में भेदभाव: राजनीतिक दलों में महिलाओं को टिकट देने में पक्षपाती रवैया अपनाया जाता है। उन्हें अक्सर "सुरक्षित" या "हारने वाली" सीटों पर ही टिकट मिलता है, जिससे उनकी प्रभावी राजनीतिक भागीदारी सीमित होती है।

IV. सुरक्षा और हिंसा: महिला नेताओं को अक्सर यौन उत्पीड़न, हिंसा और धमकियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करता है।

V. प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व: स्थानीय निकायों में "सर्पंच पति" की प्रथा महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण में बाधक है, क्योंकि महिलाएँ केवल नाममात्र की प्रतिनिधि बनकर रह जाती हैं।

VI. वित्तीय और प्रशासनिक सीमाएं: पंचायतों और निकायों को स्वायत्तता और संसाधनों की कमी होती है, जिससे महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

7. समाधान (Solutions)

I. महिला आरक्षण विधेयक का शीघ्र कार्यान्वयन: महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। इसका शीघ्र कार्यान्वयन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा।

II. राजनीतिक दलों में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण: राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण लागू करना चाहिए। यह कदम महिला नेताओं को सशक्त बनाने और उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा।

III. शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं की साक्षरता दर और आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि से उनकी राजनीतिक भागीदारी में सकारात्मक पर्रिवतन आएगा। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और आर्थिक सहायता योजनाओं की आवश्यकता है।

IV. सुरक्षा और जागरूकता अभियानों का विस्तार: महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियानों की आवश्यकता है। उदाहरणस्वरूप, उत्तर प्रदेश का 1090 महिला पावर लाइन एक प्रभावी मॉडल है, जिसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।

V. स्थानीय निकायों में महिलाओं की स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करना: पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 'सर्पंच पति' की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। हरियाणा का 'लाडो पंचायत' इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है, जो महिलाओं को स्वतंत्र रूप से र्निणय लेने का अवसर प्रदान करता।

8. सिफारिशें (Suggestions)

I. महिला आरक्षण विधेयक[19] का शीघ्र कार्यान्वयन: 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। हालांकि, यह आरक्षण 2029 के बाद लागू होगा, क्योंकि इसके लिए जनगणना और परिसीमन की आवश्यकता है । इस विधेयक का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए।

II. राजनीतिक दलों में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण: राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण लागू करना चाहिए। यह

कदम महिला नेताओं को सशक्त बनाने और उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा ।

III. महिला नेताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम: महिला नेताओं को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल में सुधार होगा।

IV. महिला सुरक्षा और जागरूकता अभियानों का विस्तार: महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियानों की आवश्यकता है। उदाहरणस्वरूप, उत्तर प्रदेश का 1090 महिला पावर लाइन एक प्रभावी मॉडल है, जिसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है ।

V. महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का सशक्तिकरण: महिला नेतृत्व वाले SHGs को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनावों में एक करोड़ महिलाओं को SHGs के माध्यम से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है

VI. स्थानीय निकायों में महिलाओं की स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करना: पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 'सर्पंच पति' की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। हरियाणा का 'लाडो पंचायत' इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है, जो महिलाओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है ।

VII. महिला सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन: महिला सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं बनाई जानी चाहिए। उदाहरणस्वरूप, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि की है, जिसे अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है ।

VIII. महिलाओं के लिए चुनावी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना: महिलाओं के लिए चुनावी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए, जैसे कि नामांकन प्रक्रिया में सहूलियत, चुनावी खर्चों में कमी, और प्रचार सामग्री की उपलब्धता।

IX. महिला पत्रकारिता और मीडिया में भागीदारी बढ़ाना: महिला पत्रकारिता और मीडिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इससे महिलाओं की आवाज़ को मुख्यधारा मीडिया में स्थान मिलेगा और उनकी समस्याओं को उचित मंच मिलेगा।

X. महिला नेताओं के लिए सकारात्मक मीडिया कवरेज: महिला नेताओं के कार्यों और उपलब्धियों को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए मीडिया को प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा और उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

9. निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में समय के साथ सुधार हुआ है। हालांकि, अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना और महिलाओं का शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि करेगा। भारत में महिलाओं के लिए संविधानिक और कानूनी प्रावधानों ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। हालांकि, महिला आरक्षण विधेयक 2023 एक ऐतिहासिक कदम है, परंतु इसकी प्रभावशीलता इसकी समयबद्ध और ईमानदार क्रियान्वयन पर निंभर करती है। साथ ही, मानसिकता में बदलाव और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना ये प्रावधान केवल कागजी रह सकते हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को केवल कानूनी या आरक्षण से नहीं बढ़ाया जा सकता। जब तक समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता, लिंग आधारित भेदभाव, और पारिवारिक तथा सांस्कृतिक दबाव नहीं बदले जाते, तब तक महिलाएँ राजनीति में नाम मात्र की भागीदारी तक ही सीमित रहेंगी। राजनीतिक दल यदि वास्तव में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उन्हें केवल घोषणाएँ नहीं बल्कि व्यवहार में पर्रिवतन लाना होगा। जब तक दलों द्वारा जीतने योग्य सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकिट नहीं मिलेगा, तब तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाना एक संकल्प मात्र बना रहेगा।

पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने राजनीतिक सशक्तिकरण का नया मार्ग खोला है, जिससे लाखों महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर सकीं। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता तभी पूरी तरह सुनिश्चित हो सकती है जब प्रॉक्सी नेतृत्व, सामाजिक भेदभाव, और नीतिगत समर्थन की कमी जैसे मुद्दों को दूर किया जाए। आरक्षण ने द्वार खोला है, लेकिन उस द्वार से आगे बढ़ने के लिए समाज और सरकार दोनों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल एक लिंग समानता का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी मापदंड है। सुधारों की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब वे केवल कागज़ पर न रहकर नीति, समाज और व्यवहार में लागू किए जाएँ। एक सशक्त महिला प्रतिनिधित्व न केवल महिलाओं के हित में है, बल्कि पूरे राष्ट्र के विकास का आधार भी है।

10. संदर्भ सूची

1. घोष, जयब्रत (2021), भारतीय राजनीति में भागीदारी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, ई-आईएसएसएन: 2456-3064, खंड VI, संख्या I, अप्रैल, 2021, पृष्ठ संख्या 75-85।

2. यादव, डॉ. मंजू (2018), राजनीति में महिलाएँ: भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (आईजेसीआरटी), खंड 6, अंक 1 फरवरी 2018, पृष्ठ संख्या 1926-1934, आईएसएसएन: 2320-2882।

3. सिंह, म. (2018). भारतीय राजनीति में महिलाओं का योगदान. मुंबई: मिंट प्रेस।

4. अफरीदी, एफ., इवरसन, वी., और शरण, एम.आर. (2017), महिला राजनीतिक नेता, भ्रष्टाचार और शिक्षा: भारत में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम से साक्ष्य। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन, 66(1), पृष्ठ संख्या:1–30।

5. शर्मा, स. (2015). महिला आरक्षण विधेयक: एक विश्लेषण. जयपुर: पब्लिकेशन हाउस।

6. भारत का चुनाव आयोग (2014), चुनावी सांख्यिकी पॉकेट बुक 2014, www.eci.gov.in से प्राप्त, 15.01.2021 को एक्सेस किया गया।

7. मरोजू राम चारी, (2012) भारत में महिलाएं और राजनीतिक भागीदारी: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस (इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, खंड 73 नंबर 1, पृष्ठ संख्या -122।

8. कुमार, र. (2010). भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका. दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।

9. ब्योर्केर्ट, एस. थापर. (2006)। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं: अनदेखे चेहरे और अनसुनी आवाजें, 1930-42। नई दिल्ली: SAGE।

10. गहलोत, एन.एस. (2002), भारतीय राजनीति के लिए नई चुनौतिंया। नई दिल्ली: डीप एंड डीप प्रकाशन।

11. शुक्ला, ए. कुमार. (2000)। भारत की राजनीति में महिलाएं: राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण। नई दिल्ली: ज्ञान पब्लिशिंग हाउस।

12. बाला, राज (1999), भारत में महिलाओं की कानूनी और राजनीतिक स्थिति, पृष्ठ संख्या -39।

13.कौशिक, सुशीला (1993), राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। नई दिल्ली: विकास प्रकाशन।

14.वोहरा, रूपा और सेन, अरुण के. (1986) "भारतीय महिलाओं की स्थिति शिक्षा और समस्याएँ", अक्षत प्रकाशन, दिल्ली।

15.शर्मा, स.एन., शर्मा, नीना और शर्मा, कुशल (1984) "भागीदारी और विकास", एनबीक्यू पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूशन्स।

16.वी.एम. सिरसीकर, (1979) 'भारत में महिलाओं का राजनीतिकरण: एक अवलोकन', वीना मजूमदार द्वारा संपादित, सिंबल्स ऑफ पावर, एलाइड, बॉम्बे, पृष्ठ संख्या 80-85।

17.कृष्णा बसु (1978) 'उन्नीसवीं सदी में महिलाओं की मुक्ति के लिए आंदोलन', भारत में महिलाओं की भूमिका और स्थिति, फ़िरमा केएलएम प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता, पृष्ठ संख्या. 36-42।

18.डोज़, रॉबर्ट ई. और ह्यूजेस, जॉन ए. (1972), "राजनीतिक समाजशास्त्र", जॉन विले एंड संस, लंदन, 1972।

19.भारत सरकार (1950). भारतीय संविधान। नई दिल्ली: भारत सरकार।

24